



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12022020-216104
CG-DL-E-12022020-216104

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 607]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 12, 2020/माघ 23, 1941

No. 607]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 12, 2020/MAGHA 23, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2020

का.आ. 666(अ).—केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 के अनुसरण में, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4001(अ), तारीख 20 दिसंबर, 2006 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त सूचना के आरंभिक पैरा में क्रम संख्यांक 1 के सामने प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

डॉ. वी.किशोर

भारतीय प्रशासनिक सेवा (सेवानिवृत्त)

- अध्यक्ष";

हाउस नं. 14, आदित्य फोर्ट व्यू विला,
शिवालयम रोड पुप्पलगुडा, मणिकोन्डा,
हैदराबाद-500089, तेलंगाना

[फा. सं. जे- 11013/36/2007 आईए-II(I)]

अरविन्द नौटियाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक 4001(अ), तारीख 20 दिसंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2020

S.O. 666(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 4001(E), dated the 20th December, 2017, namely:-

In the said notification, in the opening paragraph, against serial number 1, for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

“Dr. B. Kishore,Chairman,”
Indian Administrative Service (Retired)
House No. 14, Aditya Fort View Villas,
Shivalayam Road, Puppalaguda, Manikonda,
Hyderabad - 500 089, Telangana

[F. No. J-11013/36/ 2007- IA.II (I)]

ARVIND NAUTIYAL, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 4001(E), dated the 20th December, 2017.